भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, नोएडा,C-56/42, सेक्टर-62, नोएडा

ट्रेड नोटिस संख्या . 23/तक./सी.जी.एस.टी.- नोएडा /2017

दिनांक : .11.2017

विषय :- बिना सिले हुए सलवार शूट्स के बारे में स्पष्टीकरण

Clarification on Unstitched Salwar Suits - regarding .

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. 13/13/2017-जीएसटी (फा. सं. .354 / 129/2017-टीआरयू) दिनांक 27.10.2017, सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे दिया गया है।

The contents of Circular No. 13/13/2017-GST [F.No. 354 / 129/2017-TRU] dated 27.10.2017 issued by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs on the above subject is reproduced below for information, guidance and necessary action.

जीएस टी के अंतर्गत कपड़ों के (कट पीस) के वर्गीकरण के बारे में व्यक्त किये गये संदेह ।

Doubts have been raised regarding classification of Cut pieces of Fabrics under GST.

2. ऐसी बातें कही गयी हैं कि रेडीमेड वस्तुओं या परिधानों को तैयार किये जाने के पहले कपड़ों को बंडल या थान में से काटा जाता है और उनको बिना सिले हुए स्थिति में बेच दिया जाता है। उपभोक्ता इन सेटों या पीसों को खरीद कर अपनी नाप और आकार के अनुसार इसको सिलवा लेते हैं ।

It has been represented that before becoming readymade articles or an apparel, the fabric is cut from bundles or thans and sold in that unstitched state. The consumers buy these sets or pieces and get it stitched to their shape and size.

3. इन कपड़ों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 कि अनुसूची के अध्याय 50 से 55 के अंतर्गत उनके निर्माण सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इन पर 5 प्रतिशत

की एक समान दर से जीएसटी लगायी जाती है और प्रयोग न किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड भी नहीं किया जाता है ।

Fabrics are classifiable under chapters 50 to 55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 on the basis of their constituent materials and attract a uniform GST rate of 5% with no refund of the unutilized input tax credit.

4. बंडल या थानों से विभिन्न लंबाई के टुकड़ों में इन कपड़ों को काटने मात्र से, इन वस्तुओं की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कपड़ों के इन टुकड़ों को संबंधित शीर्षक के अंतर्गत उसी वर्ग में रखा जाता है और इन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है ।

Mere cutting and packing of fabrics into pieces of different lengths from bundles or thans, will not change the nature of these goods and such pieces of fabrics would continue to be classifiable under the respective heading as the fabric and attract the 5% GST rate.

5. व्यापार तथा उद्योग एसोसिएशन / व्यापार मंडल, क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य तथा आयुक्तालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय संरचनाओं से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सूचना के तथ्यों से जी एस टी आयुक्तालय नोएडा के सभी पंजीकृत करदाताओं एवं सभी सम्बंधित पक्षों को अवगत कराएँ ।

All the Trade Associations / Chambers of Commerce, Member of Regional Advisory Committee (SSI Sector, Organized and Central Excise Sector) and field formations are requested to bring the contents of this Trade Notice to the knowledge of their constituent members and all concerned.

10.11.17

(मनमोहन सिंह)

आयुक्त

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर नोएडा

पत्रांक संख्या : V(30)तक./ट्रेड नोटिस /एन-I/07/2016/ 2540(5)2) 13-11-2017 दिनांक .11.2017

सूचनार्थ प्रतिलिपि :-

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ
 The Chief Commissioner, CGST, Meerut Zone, Meerut.